



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR20015GC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक M-1984/यूजेवीएनलि/05/उमप्र (मा०सं०)/अनु०-1/निगमादेश

दिनांक 30/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.06.2025 को हुई 126वीं बैठक के एजेण्डा संख्या-126.12 के सापेक्ष लिये गये निर्णय के अनुपालन में 30 जून तथा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-I/264478/2024/XXVII(7)E-44768/2024 दिनांक 31.12.2024 को अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त शासनादेश के अनुसार अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि को नहीं लिया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक / यूजेवीएनलि/05/उमप्र(मा०सं०)/अनु०-1

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परियोजनायें)/ (परिचालन)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (ज्ञानपद)/ (वित्त)/ (विद्युत यांत्रिक)/ (ओ०एण्डएम०), यूजेवीएन लिमिटेड।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
6. उप महाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को निगम की वेबसाइट शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. समस्त उप मुख्यलेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।

Arshant Kumar
30/6/25

(आशिष कुमार जैन)
अधिशासी निदेशक (मा०सं०)

19/12-1/2025
08/01/25

1/264478/2024

संख्या: /XXVII (7)/E-44768/2024

A.S. [Energy (12); Housing, Plaz

4789
06/01/25

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

02.01.2025

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)

सचिव

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा
नियोजन एवं आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-07,

देहरादून, दिनांक: 31, दिसम्बर, 2024।

विषय:- दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखण्ड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,
800/AS/24
J.S. (1/25)
06/01/25

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार के अनेक अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होते हैं, इनमें ऐसे सरकारी सेवक भी सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा एक ही वेतन स्तर पर उक्त तिथि को 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली जाती है एवं जिन्हें यथास्थिति कमशः 01 जुलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि अनुमन्य होती है परन्तु उन्हें आगामी वेतनवृद्धि प्रदान नहीं की जाती क्योंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात् 30 जून/31 दिसम्बर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय दिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतनवृद्धि के उपरान्त 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, अतः उन्हें वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी। मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किये गए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay) (Pt) दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से CIVIL APPEAL No. 2471 of 2023 (SLP(C) No. 6185/2020) The Director (Admn. and HR) KPTCL & Ors (s) ... Vs C.P. Mundinamani & Ors में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में अन्तरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले अपने ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन वेतनवृद्धि निर्धारित थी, को पेंशन की गणना हेतु नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के आदेश कर दिये गये हैं।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई एवं 01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक

श्री प्रकाश
08/01/25

नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना की जाय। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतन वृद्धि को नहीं लिया जायेगा।

इस निर्णय से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2023 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष के 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी। परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

Signed by

Dilip Jawalkar

Date: 29-12-2024 15:15:11

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या : : / XXVII (7)E-44768/2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by

Ganga Prasad

Date: 31-12-2024 12:57:09

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।